



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274572
CG-DL-E-16072026-274572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]
No. 452]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में, जम्मू और कश्मीर के नीचे, क्रम संख्या 3 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"3.	खाद्य प्रयोगशाला कश्मीर, पंजीकरण सं. 75/एन/एफएसएसएआई/2021 डलगोट, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	रासायनिक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में,

(1) महाराष्ट्र के नीचे,

(क) "जियो-केम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई" से सम्बंधित क्रम संख्या 8 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 47 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"48.	जियो-केम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकरण सं. 85/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2026 ग्राउंड और पहली मंज़िल, प्लॉट नंबर - 39, TTC इंडस्ट्रियल एरिया, MIDC, कलवा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक";

3. दक्षिणी क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में,

(1) कर्नाटक के नीचे,

(क) क्रम संख्या 9 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"9.	श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट, पंजीकरण सं. 22/एस/एफएसएसएआई/2014 14 और 15, सदर मंगला इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाइटफील्ड रोड, बेंगलुरु- 560048	जैविक रासायनिक";

(ख) क्रम संख्या 22 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"23.	संभागीय खाद्य प्रयोगशाला कालाबुरागी, पंजीकरण सं. 102/एस/एफएसएसएआई/2026 प्रथम तल सेंट्रल बस स्टैंड, गुलबर्गा, कर्नाटक	रासायनिक";

(2) तमिलनाडु के नीचे,

(क) क्रम संख्या 7 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"7.	मैटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (लैबोरेटरी सर्विसेज़ डिवीज़न), पंजीकरण सं. 37/एस/एफएसएसएआई/2016 सं 1ए, 1बी, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, नेरकुंद्रम, चेन्नई - 600107	जैविक रासायनिक एवं रेडियोलॉजिकल";

(ख) “नवल एनालिटिकल लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णागिरी” से सम्बंधित क्रम संख्या 30 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा;

(3) तेलंगाना के नीचे, क्रम संख्या 4 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“4.	मेगसन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकरण सं. 38/एस/एफएसएसएआई/2016 #3-31/33, प्लॉट नं.:33/भाग, एसवाई. संख्या 123,124,125 और 142, कोमपल्ली, हैदराबाद-500014	जैविक रासायनिक”

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./221/2026-27]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं . क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 10 जून, 2026 के माध्यम से की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

F.No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In ‘A’ related to NORTHERN REGION, under **Jammu & Kashmir**, for serial number 3, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“3.	Food Laboratory Kashmir, Reg. No. 75/N/FSSAI/2021 Dalgate, Srinagar, Jammu & Kashmir	Chemical”;

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

(1) under **Maharashtra**,

(a) serial number 8, relating to "Geo-Chem Laboratories Private Limited, Mumbai" and respective entries shall be omitted;

(b) after serial number 47, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"48.	GEO-CHEM Laboratories Private Limited, Reg. No. 85/W/FSSAI/2026 Ground & 1st Floor, Plot No. - 39, TTC Industrial Area, MIDC, Kalwa, Navi Mumbai, Maharashtra	Biological Chemical";

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

(1) under **Karnataka**,

(a) for serial number 9, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"9.	Shriram Research Institute Reg. No. 22/S/FSSAI/2014 14 & 15, SadarMangla Industrial area, Whitefield Road, Bengaluru-560048	Biological Chemical";

(b) after serial number 22, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"23.	Divisional Food Laboratory Kalaburagi, Reg. No. 102/S/FSSAI/2026 First Floor Central Bus Stand, Gulbarga, Karnataka	Chemical";

(2) under **Tamil Nadu**,

(a) for serial number 7, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"7.	MATS India Pvt. Ltd., (Laboratory Services Division) Reg. No. 37/S/FSSAI/2016 No.: 1A, 1B, Perumal Koil Street, Nerkundram, Chennai - 600107	Biological Chemical & Radiological";

(b) serial number 30, relating to "Nawal Analytical Labs India Private Limited., Krishnagiri" and respective entries shall be omitted;

(3) under **Telangana**, for serial number 4, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“4.	MEGSAN LABS PRIVATE LIMITED Reg. No. 38/S/FSSAI/2016 #3-31/33, Plot No.:33/Part, Sy. Nos. 123,124,125 &142, Kompally, Hyderabad-500014	Biological Chemical”

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./221/2026-27]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended *vide* notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 10th June, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.